

फर्द अहकाम

राजेन्द्र सिंह

वनाम

बलवीर सिंह वगै०

यालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

सं० 28/2025

सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25.03.2025	<p>अधिवक्ता श्री लोकेश कुमार शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र वाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्तें हो चुकी है। प्रकरण में केवियट दर्ज है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। केवियट कर्ता की तलवी जरिए रजि०एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 09.04.2025 को पेश हो।</p>	
	9.4.25	<p>पत्रावली केम हुई। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता अप्रियत। प्रकरण से संबंधित मूल दाय 'Nbt Press' के आधार पर सारि निमा धा चुका है। बखसिल प्रार्थना पत्र सन्तर्गत 212 RTA भी सारि निमा जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार हीकर नंबर से काम हीकर शखिल दफ़तर हो।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर Not Press जयपुर नरेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर</p>